

## भूमि सुधार उपसमाहर्ता का कार्यालय, धालभूम जमशेदपुर।

| दिनांक   | आदेश  | की गई कार्रवाई |
|----------|---|----------------|
| 19/12/19 | <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या-06/19-20 प्राप्त हुआ है, जो मूल रूप से अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या -06/19-20 में उल्लेख किया गया है कि- मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं०-08 खाता नं०-163 प्लॉट नं०- 4234/4277, रकवा-0.06.20हे० भूमि हाल सर्वे खतियान के अनुसार खुसिद जमाल फातमा, पति सैयद अब्दुल कलाम के नाम से दर्ज है। खतियान में काबिल लगान दर्ज है। वर्तमान में आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। अंचल अमीन के द्वारा तैयार ट्रेड नक्शा एवं रेन्ट रोल तीन प्रति में संलग्न है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं०-8, खाता नं०-163, प्लॉट नं०-4234/4277, रकवा-0.06.20हे० भूमि का वार्षिक लगान 3/- रू० प्रति कट्टा एवं वर्ष 1998 से 10 रूपया प्रति डिसमील अलावे सेस वसूली हेतु खतियानी रैयत खुसिद जमाल फातमा, पति सैयद अब्दुल कलाम के नाम पर लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा किया गया है।</p> <p>अतः अभिलेख में वर्णित तथ्यों, संलग्न कागजात, रेन्ट रोल, ट्रेड नक्शा अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा स्वयं जाँचोपरांत एवं अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो वार्ड नं०-08 खाता नं०-163, प्लॉट नं०-4234/4277, रकवा- 0.06.20हे० भूमि का वार्षिक लगान वर्ष 1981 से 3/- रू० प्रति कट्टा एवं वर्ष 1998 से 10 रूपया प्रति डिसमील अलावे सेस वसूली हेतु खतियानी रैयत खुसिद जमाल फातमा, पति सैयद अब्दुल कलाम के नाम पर लगान निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>तदनुसार अभिलेख मूल में अग्रोतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, मानगो को भेजें।</p> |                |

19.12.19  
 भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
 धालभूम, जमशेदपुर।

19.12.19  
 भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
 धालभूम, जमशेदपुर।

आपांक 943 दिनांक 24.12-19  
 प्रति निधि श्री एकमी कांत सिंह, जमशेदपुर उप निरीक्षक  
 मानगो अंचल को सूचना एवं  
 अनुपालनार्थ प्रेषित।

19/12/19

अंचल अधिकारी  
 मानगो